कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला दमोह (म0प्र0)

अनुपयोगी टायर, ट्यूब, फ्लेप एवं मोटर पार्ट्स नीलामी सूचना

//विज्ञप्ति //

पुलिस विभाग दमोह के वाहनों की अनुपयोगी सामग्री की नीलामी खुली बोली के माध्यम से दिनांक 17.11.2025 को अपराह्न 12.00 बजे से की जायेगी। इच्छुक बोली दाता वेबसाइट www.damoh.mppolice.gov.in अथवा रक्षित निरीक्षक कार्यालय दमोह से कार्यालयीन समय में फॉर्म प्राप्त कर समस्त नियम व शर्तो को स्वीकारते हुए सुस्पष्ट अक्षरों में फॉर्म भरकर किसी भी माध्यम से दिनांक 17.11.2025 के प्रातः 11.00 बजे तक जमा कर सकते है। नीलामी संबंधी समस्त नियम / शर्ते एवं अधिक जानकारी उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

क्र0	सामग्री का नाम	नग / मात्रा
01	कंडम मोटर पार्ट्स सामग्री	3471
02	टायर, ट्यूब	702
03	फ्लेप	61

पुलिस अधीक्षक
जिला दमोह (म0प्र0)

खुली बोली द्वारा नीलामी की नियम एवं शर्तेः-

(1.) **नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने हेतु दिनांक 15.11.2025 के सायं 05.00 बजे तक 100 रू.** के चालान में शीर्ष 0055 में भारतीय स्टेट बैंक में पुलिस अधीक्षक दमोह के नाम से जमा कर फॉर्म पुलिस अधीक्षक कार्यालय रक्षित केन्द्र दमोह से प्राप्त किए जा सकेगा। चालान शुल्क वापिस नहीं होगा। बोलीकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।

(2.) अनुपयोगी सामग्री की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने / बोली लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक दमोह के नाम पर राशि 5000/- रू. (अंकन- पांच हजार रू) का राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेंगा।

(3.) जिस व्यक्ति द्वारा नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जानकारी दी गई है केवल वही व्यक्ति खुली बोली में शामिल हो सकता है।

(4.) अनुपयोगी सामान् के प्रकार के अनुसार लगने वाला बिक्री का भुगतान खरीददार के द्वारा किया जायेगा, जिसकी संबंधित कार्यालय में जमा पावती रसीद प्रस्तुत करना होगी।

(5.) नीलाम किया जाने वाला अनुपयोगी सामान इत्यादि "जैसा है जहां है आधार पर" वर्णित स्थल से नीलाम किया जायेगा।

(6.) शर्त रहित निविदा मान्य नहीं होगी एवं इच्छुक बोली दाता नीलाम किये जाने वाले अनुपयोगी सामान को दिनांक 06.11.2025 से 10.11.2025 तक कार्य दिवसो में कार्यालय समय के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय रक्षित निरीक्षक दमोह में उपस्थित होकर देख सकते है।

(7.) नीलाम किए जाने वाले अनुपयोगी सामान इत्यादि के संबंध में किसी भी बोली दाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

(8.) नीलामी में भाग लेने हेतु प्रपत्र पूर्ण एवं सुस्पष्ट भरा होना चाहिए, अधूरा काट-छाट और अस्पष्ट प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(9.) इच्छुक बोली दाता के संपूर्ण दस्तावेज एवं डिमांड ड्राफ्ट दिनांक 17.11.2025 के प्रातः 11.00 बजे तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय दमोह द्वारा किसी भी माध्यम से स्वीकार किये जा सकते है।

(10.) लिफाफे के ऊपर 'अनुपयोगी सामान की नीलामी के लिए बोली दाता' अवश्य लिखे। समय उपरांत प्राप्त लिफाफो को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(11.) अनुपयोगी सामान का शासकीय आरक्षित मूल्य नीलामी दिवस को नीलामी के पूर्व घोषित किया जायेगा।

(12.) ऐसी संस्था, पार्टी अथवा व्यक्ति इत्यादि जिसके जिम्मे राजकीय वित्त बकाया होगा, नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे।

(13.) नीलामी के सफलतम होने के उपरांत प्रथम उच्च बोलीदाता को नीलामी के दिन 50 प्रतिशत राशि तत्काल व शेष 50 प्रतिशत राशि 05 दिवस के अंदर जमा करनी होगी, जमा न करने की स्थिति में 50 प्रतिशत राशि एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जायेगी तथा द्वितीय एवं तृतीय उच्च बोलीकर्ता को अवसर प्रदान किया जायेगा। द्वितीय एवं तृतीय उच्च बोलीदाता की प्रतिभूति राशि नीलामी दिनांक से अगले 15 दिवस तक जमा रखी जायेगी।

(14.) ऑफर स्वीकार होने पर प्रतिभूति की राशि समायोजित की जावेगी।

(15.) अनुपयोगी सामग्री की राशि जमा करने के 03 दिवस के भीतर सामग्री उठाना अनिवार्य है। सामग्री की ढुलाई एवं भाड़े / लोडिंग की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।

(16.) प्रत्येक बोलियों के बीच कम से कम राशि 500 /- रू. (अंकन- पाँच सौ रूपये) का अंतर पर अगली बोली लगाई जावेगी। इससे कम के अंतर पर बोली स्वीकार नहीं होगी। नीलामी हेतु सामग्री के प्रकार के आधार पर न्यूनतम सरकारी मूल्य निर्धारित किया गया है, निर्धारित न्यूनतम सरकारी मूल्य से उच्चतम बोली प्राप्त होने पर ही नीलामी सफल मानी जायेगी। न्यूनतम मूल्य से कम प्राप्त होने पर अनुपयोगी सामना की नीलामी नहीं की जायेगी।

(17.) खुली बोली में सम्मिलित होने हेतु अपनी पहचान का फोटोयुक्त आईडी प्रूफ, पेन संख्या, मोबाइल नंबर, पूर्ण पता देना होगा साथ पत्राचार का स्थायी वैध पता तथा बैक विवरण अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

(18.) बोलीकर्ता द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधित संपूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गई है। ऐसा माना जावेंगा। बोली दाता को इस नियम व शर्तो को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म के नाम पर मुहर लगाकर दस्तावेज के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। साथ संपूर्ण दस्तावेज स्व प्रमाणित होना अनिवार्य है।

(19.) नीलामी छोड़ने एवं संपादित करने का सर्व-अधिकार पुलिस अधीक्षक दमोह को सुरक्षित होगा एवं किसी भी आपत्ति अथवा विवाद पर पुलिस अधीक्षक दमोह का निर्णय अंतिम होगा जो सर्व स्वीकार होगा।

(20.) किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का अधिकार क्षेत्र जिला न्यायालय दमोह म.प्र. होगा।

(21.) पुलिस अधीक्षक दमोह को बिना किसी कारण बताये नीलामी प्रक्रिया स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

पुलिस अधीक्षक
जिला दमोह (म.प्र.)

प्रति,

पुलिस अधीक्षक
जिला दमोह (म.प्र.)

फोटो

हस्ताक्षर

विषयः- वाहन शाखा दमोह, अनुपयोगी सामग्री क्रय हेतु खुली बोली नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने बावत्।

----00----

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके कार्यालय द्वारा खुली बोली के माध्यम से वाहन शाखा की अनुपयोगी सामग्री नीलाम किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु मैं इच्छुक हूँ।

पूरा नामः- ....

....

पिता / पति का नामः- ....

....

फर्म का नामः- ....

....

.स्थानः- ....

....

पूर्ण स्थायी पताः- ....

....

....

GST नंबरः- ....

आधार कार्ड नंबरः- ....

PAN नंबरः- ....

फर्म का सक्षिप्त विवरणः- ....

....

....

मेरे द्वारा संपूर्ण नियम / शर्ते ठीक से पढ़ ली गई है। नियम की समस्त शर्ते स्वीकार करता हूँ।

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मुहर